N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0129 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/06/2024 17:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:50 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/06/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/06/2024 17:45:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALYA KHAND, MUKHYA CHIKITSA ADHIKARI KAMA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SADDAM HUSAIN
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASSARUDDIN
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PAREHI, JURHERA, डीग, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PAREHI, JURHERA, डीग, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHANDUTT SHARMA		पिता:HARIPRASAD SHARMA	1. 209,TELIPADA MOHAALA, DEEG,डीग,RAJASTHAN,INDIA
2	RAKESH KUMAR SAINI		पिता:NIROTILAL SAINI	1. KUTTI MOHALL,KAMAN,डीग, RAJASTHAN,INDIA
3	GAURISHANKAR		पिता:RAGUVEER SINGH	1. PADAMPUR,BHARATPUR,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर (राज0 विषय- भ्रष्ट अधिकारी@ कर्मचारी को रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मुझे सददाम पुत्र असरूदीनव पार्टनर दीपक भारद्वाज पुत्र ओम प्रकाश भारद्वाज ने अलीशेर से 3 दुकान व बेंसमेन्ट किराया पे लेकर हमारे द्वारा भारद्वाज नर्सिंग होम संचालित किया जाता था। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी डीग द्वारा रजिस्टर था जिसको डॉ. के डी शर्मा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 07-06-24 ओचक निरीक्षण किया था व मुझसे कहा गया कामां आकर मिल लेना जिसपर मैं कामां पहुंच डॉ. साहब से मिला तो उसने कहा कि दस्तावेज दिखाने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई खामी हम दस्तावेज में निकाल ही देते हैं। नर्सिंग होम चलाने के लिये कुछ व्यवस्थाऐं बनी हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी गौरीशँकर दे देगा इनसे मिल लो जिस पर हम गौरी शंकर से मिले तो उसने कहा भाई डा0 साहब बिना पेसे के काम नहीं करेंगें इसके लिये आपको ढाई लाख रूपये देने होगें। वरना आपके नर्सिंग होम का सील कर देगें। ये सब सुनकर मैं अपने नर्सिंग होम चला गया उसके उपरान्त दिनांक 13-06-2024 को करीब 2 पीएम पर गौरी शंकर व अन्य लोग आये और शटर डाल कर कत्तर से बांध कर चले गये व थाने में मुकदमा दर्ज कराने व अगर पेसे नहीं दिये तो नर्सिंग होम और आपको हमेशा के लिये बन्द करा देगें। मेरे काफी हाथा जोडी करने पर एक लाख रूपये में सौदा तय होगा। मुझे एफआईआर की चिठ्ठी दिखाई गयी। मेरे द्वारा 45 हजार रूपये का बन्दोबस्त कर गोरी शंकर को मेरे द्वारा दिये गये थे बाकी बचे हुए पैसे में उसको रि'वत न देकर रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी सददाम हुसैन सददाम हुसैन पुत्र असरूदीन निवासी परेही थाना जुरहरा मो0 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 25-06-24 एसडी कृष्ण गोपाल 26-06-24 एसडी दीपक कुमार 26-06-24। कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2024 को समय 02-30 पी.एम. पर परिवादी सददाम हुसैन पुत्र असरू खान जाति मेव निवासी परेही उम्र 28 साल पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड मय किराये नामे की प्रतिलिपी नर्सिंग होम का अतंतिम प्रमाण पत्र मय थाने में एफआईआर दर्ज करने की तहरीर की फोटोप्रति अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मुझे सददाम पुत्र असरूदीन पार्टनर दीपक भारद्वाज पुत्र ओम प्रकाश भारद्वाज ने अलीशेर से 3 दुकान व बेंसमेन्ट किराया पे लेकर हमारे द्वारा भारद्वाज नर्सिंग होम संचालित किया जाता था। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी डीग द्वारा रजिस्टर था जिसको डा. के डी शर्मा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 07-06-24 ओचक निरीक्षण किया था व मुझसे कहा गया कामां आकर मिल लेना जिसपर मैं कामां पहुंच डॉ. साहब से मिला तो उसने कहा कि दस्तावेज दिखाने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई खामी हम दस्तावेज में निकाल ही देते हैं। नर्सिंग होम चलाने के लिये कुछ व्यवस्थाऐं बनी हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी गौरीशंकर दे देगा इनसे मिल लो जिस पर हम गौरी शंकर से मिले तो उसने कहा भाई डॉ. साहब बिना पेसे के काम नहीं करेंगें इसके लिये आपको ढाई लाख रूपये देने होगें। वरना आपके नर्सिंग होम का सील कर देगें। ये सब सुनकर मैं अपने नर्सिंग होम चला गया उसके उपरान्त दिनांक 13-06-24 को करीब 2 पीएम पर गौरी शंकर व अन्य लोग आये और शटर डाल कर कत्तर से बांध कर चले गये व थाने में मुकदमा दर्ज कराने व अगर पेसे नहीं दिये तो नर्सिंग होम और आपको हमेशा के लिये बन्द करा देगें। मेरे काफी हाथा जोडी करने पर एक लाख रूपये में सौदा तय होगा। मुझे एफआईआर की चिठ्ठी दिखाई गयी। मेरे द्वारा 45 हजार रूपये का बन्दोबस्त कर गोरी शंकर को मेरे द्वारा दिये गये थे बाकी बचे हुए पैसे में उसको रि'वत न देकर रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोट मेरी हस्तलिखित है व 45000 रूपये मेने तीन चार दिन पहले दिये थे। मैं डा० के. डी. शर्मा से मेरी पत्नि की बीमारी व थाने से फोन आने व पुलिस से बचाने की बार्तालाप के साथ रिश्वत संबंधी मांग व लेन देन की वार्तालाप करूँगा। मजीद दरियाप्त से मामला रि'वत मांग का पाया जाने पर समय 04.00 पीएम पर रि'वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 से निकलवाकर परिवादी श्री सददाम हुसैन को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. 203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी सददाम

हुसैन को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रि'वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 परसराम को परिवादी की निजी कार से कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी कामा रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्प'चात समय 06.00 पीएम पर श्री परसराम कानि0 ने जरिये फोन सूचित किया कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कोई भी उपस्थित नहीं ऐसी सूरत में सत्यापन वार्ता नहीं हो सकी जिसपर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री परसराम कानि0 को हिदायत दी गई कि वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखे एवं रात्री मुकीम कामां हो और कल दिनांक 26-06-2024 को रि'वत मांग का गोपनीय सत्यापन करावे। इसके बाद दिनांक 26-06-2024 को समय 02.30 पीएम पर श्री परसराम कानि. मय परिवादी श्री सददाम हुसैन के कल दिनांक 25-06-2024 का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री परसराम कानि0 से वॉइस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं कल दिनांक 25-06-2024 को आपके कार्यालय के श्री परसराम कानि. के साथ मेरी निजी कार से रवाना होकर कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी कामा पहुँचा। समय अधिक हो जाने से कार्यालय बन्द हो गया था कार्यालय में कोई नहीं मिला। इसके बाद श्री परसराम कानि ने आपके जरिये मोबाईल निर्देशानुसार मुझे दिनांक 26-06-2024 को कामां में मिलने की हिदायत देकर मेरे गाँव रवाना किया। इसके बाद आज दिनांक 26-06-2024 को मै सुबह करीब 10 बजे कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां पहुंचा जहां पर श्री परसराम जी मौजूद मिले। श्री परसराम कानि ने मुझे आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉइस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर सुपुर्द कर कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी कामा के लिए रवाना किया। तत्प'चात बाद सत्यापन मैंने बापस आकर श्री परसराम कानि को पुर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुपुर्द किया जिसे श्री परसराम कानि ने बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखा। मैनें श्री परसराम कानि को बताया कि मेरी आरोपी डॉ. के. डी. शर्मा व गौरीशंकर से रि'वत के संबंध में बार्तालाप हो गई है। बाद सत्यापन मै श्री परसराम कानि के साथ कामां से रवाना होकर कार्यालय आ गया। इसके बाद पास में ही खडे हुए श्री परसराम कानि ने भी परिवादी के द्वारा बताई गई वार्तालाप की ताईद की। परसराम कानि0 से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रि'वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। वॉइस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्प'चात समय 02.50 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आव'यकता होने पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु आयुक्त कार्यालय नगर निगम भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय नगर निगम भरतपुर रवाना करने पर समय 03.20 पीएम पर मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय नगर निगम भरतपुर से वापस कार्यालय आया श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 के साथ आये हुए स्वतंत्र गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमश कृष्णगोपाल पुत्र श्री बच्चूसिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर निगम भरतपुर व दीपक कुमार पुत्र श्री स्व.श्री बंगाली जाति हरिजन उम्र 47 साल निवासी पुरानी कचहरी के पीछे हरिजन बस्ती भरतपुर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर निगम भरतपुर बताया। उक्त दोनों गवाहों का कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी सददाम हुसैन से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही टे'प कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25-06-2024 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टे'प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्प'चात समय 03.30 पीएम पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय एस डी कार्ड जिसमें रिश्वत मॉंग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्प'चात समय 03.40 पीएम पर परिवादी सददाम हुसैन व आरोपीगण डॉ. के. डी शर्मा व गौरी शंकर कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 26-06-2024 जो डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान परिवादी की मौजूदगी श्री परसराम कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वॉइस रिकॉर्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एम अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी

लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि068 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर वक्त रि'वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें आज दिनांक 26-06-2024 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्प'चात समय 05.15 पीएम पर परिवादी सददाम हुसैन को रि'वत राशि के संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रि'वत राशि 25000@-रूपये की व्यवस्था नहीं है जिसको कल दिनांक 27-06-2024 को रिश्वत राशि 25000 की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया व परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कल दिनांक 27-06-2024 को सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 27-06-2024 को समय 10.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी सददाम हुसैन आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 25000 लेकर उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। तत्प'चात समय 10.20 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह उप. कार्यालय आये उक्त गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। तत्प'चात समय 10.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री सददाम हुसैन पुत्र असरू खान जाति मेव निवासी परेही उम्र 28 साल पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग से आरोपी को रि'वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 50 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 25000@- रूपये निकालकर पेश किये पांच पांच सौ के नोटों के नम्बर क्रमशः 2LB787748, 1SH126771, 0DW866498, 3PR756168, 0BB984367, 1HF386965, 1TA213220, 4DS120381, 6AS308526, 3VC115862, 5DU808033, 7PB938258, 2KN720036, 6RW352156, 3RB432329, 2SU297848, 5DV950035, 4AN036591, 2PM779501, 4DW965670, 2NU210449, 1MU260820, 8UA953744, 7WK298757, 2BC441806, 0PN217479, 6AP359066, 3AH404369, 3VW326359, 5RC409810, 3GD239661, 3HQ992842, 8GG662146, 8QG577371, 1AC521367, 7NS979098, 3DR294530, 6SP925508, 2ES545455, 8DB478692, 0GP617849, 5UW964641, 8EP032385, 1RN194082, 7QP393427, 8AP999332, 5GB943875, 0CA223638, 3UQ496608, 3SR773975 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्प'चात श्री अवधेश हैड कानि0 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री यशपाल कानि0 473 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री सददाम हुसैन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह दीपक कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके प'चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 25000@-रूपये के नोटों को श्री यशपाल कानि0 473 से परिवादी की पहनी हुई पायजामा की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनाव'यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रि'वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर@मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रि'वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। श्री अवधेश हैड कानि0 के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त टेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे'प बाक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रि'वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये

वॉइस रिकॉडर्र को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री यशपाल कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्प'चात समय 12.00 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उपनिरीक्षक मय अवधेश कुमार हैड कानि0 68, दिलीप सिंह कानि0 610, श्री विनोद सिंह कानि0 114, राजेन्द्र सिंह कानि0 106, गोकुलेश कानि0 454, मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री सददाम हुसैन मय परसराम कानि0 203 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी की निजी कार मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के कामां वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने पर समय 01.50 पीएम पर मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के पुरानी तहसील कार्यालय कामां पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 रीतराम सहायक उप निरीक्षक दिलीप कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे'प पार्टी सदस्यों के पुरानी तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रि'वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। तत्प'चात समय 02.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री सददाम हुसैन के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाह एवं जाप्ता के पुरानी तहसील परिसर के मुख्य गेट से रवाना होकर कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा जहां परिवादी श्री सददाम हुसैन उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉइस रिकॉडर्र प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने कार्यालय में अन्दर प्रवेश कर अन्दर बने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष की ओर ईशारा कर कक्ष के बाहर पेन्ट टी-शर्ट में खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि मैने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष के अन्दर डॉक्टर साहब के.डी. शर्मा के कहने पर रिश्वत राशि 25000 रूपये इस व्यक्ति को दे दिये हैं। रिश्वत राशि 25000 रूपये अभी भी इसकी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे हुए है। डॉक्टर साहब अभी भी कक्ष के अन्दर बैठे हुए हैं। इस पर उक्त व्यक्ति को हमराही जाप्ता की मदद से डिटेन करवाया जाकर डिटेन शुदा व्यक्ति मय परिवादी मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के कक्ष के अन्दर प्रवेश किया तो कक्ष के अन्दर एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट में कुर्सी पर बैठ कर राजकार्य संपादित कर रहा है। परिवादी ने कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही डॉक्टर के0डी0 शर्मा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है जिन्होने अभी अभी मेरे से, मेरे व मेरे साझेदार दीपक भारद्वाज का भारद्वाज नर्सिंस होम के नाम से नर्सिंग होम जो कस्बा जुरहरा में स्थित है जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के अन्तर्गत आता है। उक्त नर्सिंग होम के दस्तावेजात में व अन्य कमी निकाल कर सील करने की व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की एवज में 25000 रूपये की किश्त पास में खडे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि इस टी-शर्ट वाले व्यक्ति को दिलवा दिये हैं। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. कृष्णदत्त शर्मा पुत्र श्री हरीप्रसाद शर्मा उम्र 42 साल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नं0 209 तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली डीग जिला डीग हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग होना बताया तथा पेंट टी-शर्ट वाले व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री निरोतीलाल सैनी उम्र 44 साल जाति माली निवासी कुट्टी मौहल्ला कामां पुलिस थाना कामां जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग होना बताया इस पर राकेश कुमार सैनी से रिश्वत राशि 25000 के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि मै वर्ष 2013 से कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां में पदस्थापित हूं और परिवादी की ओर ईशारा कर बताया कि मै इन भाई साहब को नहीं जानता हूं ये अभी कुछ समय पहले डॉक्टर साहब से मिलने आये थे। तो मैने इनको डॉक्टर साहब से मिलवा दिया और मै बाहर जाकर बैठ गया तथा डॉक्टर द्वारा घंटी बजाने पर कक्ष में आया और डॉक्टर साहब के कहने पर मैने इन से पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की गडडी लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रख ली रिश्वत राशि अभी भी मेरी जेब में रखी हुई है। तत्प'चात डाॅ0 कृष्णदत्त शर्मा से रिश्वत राशि 25000 के संबंध में पूछा तो बताया कि मै वर्ष 2015 से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के पद पर पदस्थापित हूं। सद्दाम हुसैन मेरे से कल दिनांक 26-06-2024 को अपनी पत्नि की बीमारी के संबध में मिलने आया था जो अलवर में भर्ती है। और बता रहा था कि जुरहरा थाने वाले मेरे को किसी कार्यवाही की कह कर फोन कर रहे हैं और कल मैने सददाम से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की थी इसके बाद आज यह फिर मिलने आया और कहने लगा कि मुझे फिर से जुरहरा थाने से फोन आ रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं तो मैने कहा कि हमारे विभाग का कोई मामला नहीं है पुलिस का मामला है तुम उन्ही से जाके मिल लो तथा मैने सददाम से कोई रिश्वत राशि ना ही मांग की है और ना ही प्राप्त की है और ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। इसपर पास में खडे परिवादी ने डॉक्टर साहब की बातों का खण्डन करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। मेरे व मेरे साझेदार श्री दीपक भारद्वाज का सम्मलित रूप से, भारद्वाज नर्सिंस होम नाम से नर्सिंग होम है जो कस्बा जुरहरा में स्थित है जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के अन्तर्गत आता है। उक्त नर्सिंग होम के दस्तावेजात व अन्य कमी निकाल कर सील करने की व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की एवज में एक लाख रूपये की रि'वत की मांग की गई जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर पेश

की थी जिसपर आप द्वारा रि'वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया था। दौरोन रिश्वत मांग सत्यापन रिश्वत राशि में से 45000 रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 10000 रूपये दौराने रि'वत मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना एवं बचे हुए शेष रिश्वत राशि 45000 हजार रूपये में से 25000 रूपये आज दिनांक 27-06-2024 को रिश्वत राशि 25000 रूपये अपने सहायक कर्मचारी राकेश कुमार सैनी को दिलवा दिये जिसके बाद मैने आपको कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के बाहर से ईशारा कर दिया था। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बाक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी में रखे हुए पानी के केम्पर से प्लास्टिक के गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री राकेश कुमार सैनी सहायक कर्मचारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः टेम्प बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री राकेश कुमार सैनी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्प'चात गवाह श्री दीपक कुमार कनिष्ठ सहायक से आरोपी राकेश कुमार सैनी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500-500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500-500 सौ रूपये के 50 नोट कुल 25000@- रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्प'चात टेम्प बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक से तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्प'चात पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग गहरा हरा ग्रे जिसकी कमर बैल्ट पर OODY JNS DENIM INDUSTRY का स्टीकर लगा हुआ है। पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क 'पीपी अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रि'वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी गौरीशंकर के बारे में आरोपी डॉ. कृष्णदत्त शर्मा से पूछा तो बताया कि गौरीशंकर का पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है जो कल दिनांक 26-06-2024 को जयपुर दिखाने जाने व अवकाश का प्रार्थना पत्र भेजने की कह कर गया है आज ड्यूटी पर उपस्थित नहीं आया है। जिसकी तलाश हेतु श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। आरोपी डॉ.कृष्णदत्त शर्मा से भारद्वाज नर्सिंग के लिये जारी नोटिस के संबंध में पूछा तो आरोपी डॉक्टर ने नोटिस अपने पास नहीं होना व नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया। इस पर आरोपी राकेश कुमार सैनी से पूछा गया तो आरोपी राकेश कुमार सैनी ने बताया कि नोटिस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है परन्तु में गौरीशंकर बीएचएस जी से बात कर जानकारी कर सकता हूं इस पर मेरे निर्देशानुसार आरोपी राकेश कुमार सैनी के मोबाईल नं0 से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 पर लाउड स्पीकर मोड पर रूबरू मौतबिरान के समक्ष वार्ता कराई गई तथा दोनों की वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आरोपी ने मोबाईल पर बताया कि नोटिस डॉक्टर साहब के कक्ष में रखी आलमारी में रखा है। इसपर कक्ष के अन्दर रखी आलमारी की तलाशी लिवाई गई तो नोटिस नहीं मिला। इसके बाद पुनः आरोपी राकेश कुमार सैनी के मोबाईल नं0 से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 जो आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल में Gaurishankar के नाम से संरक्षित है, पर लाउड स्पीकर मोड पर वार्ता कराई गई तो आरोपी गौरीशंकर ने कहा कि मेरे मोबाईल पर नोटिस व थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिये जो तहरीर लिखी है मै उसको आपके वाट्सएप्प पर भेज देता हूं। तत्प'चात आरोपी गौरीशंकर द्वारा अपने वाट्सएप्प नं0 से आरोपी राकेश कुमार सैनी के वाट्सएप्प पर नोटिस व थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर को भेज दिया जिसका

[redacted]

वाट्सएप्प चैट व Gauri office के नाम से संरक्षित सम्पर्क नं0 का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट व दस्तावेज को ब्लूटूथ से मन अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल में लिया जाकर समस्त दस्तावेज का प्रिन्ट आउट निकाल कर बाद अवलोकन संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपी डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। आरोपी डॉ. कृष्णदत्त शर्मा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी व आरोपी राकेश कुमार सैनी सहायक कर्मचारी का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्प'चात समय 04.50 पीएम पर श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक 337 को जरिये टेलीफोन निर्देशित किया गया कि वह सरकारी गाडी बोलेरो व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 के साथ अविलम्ब कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां पहुंचे। इसके बाद समय 05.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डॉ. कृष्णदत्त शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा उम्र-42 जाति- ब्राहम्ण निवासी मकान नं.-209 तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली जिला डीग हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से परिवादी व उसके मित्र दीपक भारद्वाज के भारद्वाज नर्सिंग होम जो कस्बा जुरहरा में स्थित है जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के अन्तर्गत आता है उक्त नर्सिंग होम में कमी निकालकर सील करने की व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 100000@-(एक लाख) रूपये रि'वत की मांग करना उक्त राशि में से 45000@- (पैंतालीस हजार) रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 10000@-(दस हजार) रूपये दौराने रि'वत मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना एवं बचे हुये शेष राशि पैंतालीस हजार रूपये में से आज दिनांक 27-06-2024 को दौराने कार्यवाही आरोपी डॉ. कृष्णदत्त शर्मा के कहने पर आरोपी राकेश कुमार सैनी द्वारा परिवादी सद्दाम हुसैन से 25000@- (पच्चीस हजार)रूपये प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आई.पी.सी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्णगोपाल कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो आरोपी के पास दो मोबाईल जिनमें एक नोकिया कम्पनी जिसमें ऐयरटेल की सिम जिसके नं0 डली हुई है। व एक वीवो कम्पनी का जिसमें ऐयरटेल कम्पनी की सिम नं डली हुयी है जिसमें उपर लिखे हुये नम्बर का वाट्सअप भी चलता है। एवं आरोपी के पास मिली राशि 10050 रूपये के बारे में पूछा गया तो संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि व दोनो मोबाइलों को आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां में पदस्थापित सहायक कर्मचारी देवकी नन्दन उर्फ टम्पू को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना सहायक कर्मचारी देवकी नन्दन उर्फ टम्पू को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्प'चात समय 05.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष राकेश कुमार सैनी पुत्र स्व. श्री निरोतीलाल सैनी उम्र 44 साल जाति माली निवासी कुट्टी मोहल्ला कामां पुलिस थाना कामां जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से परिवादी व उसके मित्र दीपक भारद्वाज के भारद्वाज नर्सिंग होम जो कस्बा जुरहरा में स्थित है जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के अन्तर्गत आता है उक्त नर्सिंग होम में कमी निकालकर सील करने की व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 1,00,000@-(एक लाख) रूपये रि'वत की मांग करना उक्त राशि में से 45000@- (पैंतालीस हजार) रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 10000@-(दस हजार) रूपये दौराने रि'वत मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना एवं बचे हुये शेष राशि पैंतालीस हजार रूपये में से आज दिनांक 27-06-2024 को दौराने कार्यवाही आरोपी डॉ. कृष्णदत्त शर्मा के कहने पर आरोपी राकेश कुमार सैनी द्वारा परिवादी सद्दाम हुसैन से 25000@- (पच्चीस हजार)रूपये प्राप्त करने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आई.पी.सी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्णगोपाल कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल ओप्पो कम्पनी का जिसमें जिओ की सिम जिसके नं0 डली हुई है। एवं आरोपी के पास मिली राशि 8850@- रूपये के बारे में पूछा गया तो संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि को आरोपी के कहे अनुसार कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां में पदस्थापित सहायक कर्मचारी देवकी नन्दन उर्फ टम्पू को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना सहायक कर्मचारी देवकी नन्दन उर्फ टम्पू को दी गई। मोबाईल की कार्यवाही में आव'यकता होने पर मोबाईल को पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्प'चात समय 06.00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.20 पीएम पर श्री धर्मवीर सिंह कानि0 चालक 337 मय श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 मय सरकारी गाडी बोलेरो के कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां पहुंचा। श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को आरोपी डॉ. कृष्णदत्त शर्मा के रिहायशी मकान की चाबी देकर हिदायत दी गई कि अविलम्ब चाबी को लेकर आरोपी के निवास स्थान तेलीपाडा मौहल्ला पहुंच कर

[redacted]

चाबी को श्री महेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस एसीबी अलवर को सुपुर्द करें बाद हिदायत कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह को डीग के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय 06.45 पीएम पर दोनो गवाहों के समक्ष परिवादी सद्दाम हुसैन व उसके साझेदार दीपक भारद्वाज के सम्मलित भारद्वाज नर्सिंग होम के नाम जारी नोटिस व थाने में मुदकमा दर्ज कराने के लिये लिखी गई तहरीर के लिये आरोपी राकेश कुमार सैनी के मोबाईल नं0 से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 जो आरोपी राकेश कुमार के मोबाईल में Gaurishankar के नाम से संरक्षित है, पर लाउड स्पीकर मोड पर वार्ता कराई गई तो आरोपी गौरीशंकर ने कहा कि मेरे मोबाईल पर नोटिस व थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिये जो तहरीर लिखी है मै उसको आपके वाट्सएप्प पर भेज देता हूं। तत्प'चात आरोपी गौरीशंकर द्वारा अपने वाट्सएप्प नं0 से आरोपी राकेश कुमार सैनी के वाट्सएप्प पर नोटिस व थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर को भेज दिया जिसका वाट्सएप्प चैट व Gauri office के नाम से संरक्षित सम्पर्क नं0 का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट व दस्तावेज का प्रिन्ट आउट निकाल कर बाद अवलोकन संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली किये गये। कार्यवाही हाजा में मोबाईल की बजह सबूत आव'यकता होने से मोबाईल को स्विच-आफ किया जाकर मोबाईल को सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क MOB' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द मोबाईल जप्ती पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई । तत्प'चात समय 07.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक गिरफतार शुदा आरोपीगण डॉ. कृष्णदत्त शर्मा व राकेश कुमार सैनी सहायक कर्मचारी मय स्वतंत्र गवाहान मय टे'प टीम मय जप्तशुदा रिश्वत राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट , सील्ड मोबाईल पैकिट डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी गाडी मय चालक बाद कार्यवाही सीएचसी कामां के लिए रवाना होता हुआ। तत्प'चात समय 08.00 पीएम मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय गिरफतार शुदा आरोपीगण डॉ. कृष्णदत्त शर्मा व राकेश कुमार सैनी सहायक कर्मचारी मय स्वतंत्र गवाहान मय टे'प टीम मय जप्तशुदा रिश्वत राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट सील्ड मोबाईल पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक , मय सरकारी गाडी मय चालक के सीएसची कामां पहुंचा। जहां दोनों आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री अवधेश हैड कानि0 मय गोकुलेश कानि0 मय गिरफतार शुदा आरोपी मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक को हिदायत दी गइ कि दोनों आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवाते हुए एसीबी चैकी भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे'प टीम मय जप्तशुदा रिश्वत राशि धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट सील्ड मोबाईल पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी गाडी मय चालक के एसीबी चैकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। इसके बाद समय 10.00 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय टे'प टीम मय जप्तशुदा रिश्वत राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट, सील्ड मोबाईल पैकिट डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक , मय सरकारी गाडी चालक के एसीबी चैकी भरतपुर पहुचा तत्प'चात समय 10.20 पीएम पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन के दोनों आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चैकी उपस्थित आये जहा जप्तशुदा रिश्वत राशि धोवन की शील्ड शीशियां शील्ड पेन्ट पैकिट, सील्ड मोबाईल पैकिट व वाईस रिकार्डर से रि'वत लेनदेन वार्ता मैमोरी कार्ड को निकालकर वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने मे रखवाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री अवधेश हैडकानि. 68 को सुपुर्द की गई। तत्प'चात समय 10.30 पीएम पर रात्रि का समय अधिक जाने के कारण परिवादी श्री सददाम हुसैन को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 28-06-2024 को सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 28-06-2024 को समय 09.30 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। तत्प'चात समय 09.40 एएम पर वक्त रि'वत लेनदेन वार्ता दिनांक 27-06-2024 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय के मालखाने से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्प'चात समय 09.50 एएम पर परिवादी सददाम हुसैन से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपीगण डॉ0 कृष्णदत्त शर्मा व राकेश कुमार सैनी के मध्य हुई वक्त रि'वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में श्री परसराम कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ' बी अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम

[redacted]

प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1 अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्प'चात समय 11.00 एएम पर वक्त रि'वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 27-06-2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 11.10 एएम पर दौराने ट्रेप कार्यालय कल दिनांक 27-06-2024 को आरोपी राकेष कुमार सैनी के मोबाईल नं0 से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 पर लाउड स्पीकर मोड पर रूबरू मौतविरान के समक्ष कराई गई वार्ताओं, जिनको कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच किया जाकर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ताओं की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्प'चात समय 11.20 एएम दौराने ट्रेप कार्यालय दिनांक 27-06-2024 को आरोपी राकेश कुमार सैनी के मोबाईल नं0 से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 पर लाउड स्पीकर मोड पर रूबरू मौतविरान के समक्ष कराई गई वार्ताओं, जो वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान परिवादी की मौजूदगी में श्री परसराम कानि0 से रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार कराया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -2 अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पचात समय 12.20 पीएम दौराने ट्रेप कार्यालय कल दिनांक 27-06-2024 को आरोपी राकेश कुमार सैनी के मोबाईल नं0 , से आरोपी गौरीशंकर के मोबाईल नं0 पर लाउड स्पीकर मोड पर रूबरू मौतविरान के समक्ष कराई गई वार्ताओं की आई ओ सीडी की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्प'चात समय 12.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 60 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री कृष्ण गोपाल कनिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी डॉ0 कृष्ण दत्त शर्मा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व कार्यालय कर्मचारी गौरीशंकर द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से परिवादी व उसके साझेदार दीपक भारद्वाज का, भारद्वाज नर्सिंस होम जो कस्बा जुरहरा में स्थित है जो खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां के अन्तर्गत आता है। उक्त नर्सिंग होम में कमी निकाल कर सील करने की व पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर एक लाख रूपये की रि'वत की मांग करना उक्त रिश्वत राशि में से 45000 रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 10000 रूपये दौराने रि'वत मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना एवं बचे हुए शेष रिश्वत राशि 45000 हजार रूपये की मांग में से दिनांक 27-06-2024 को उक्त मांग के अनुसरण में टे्प कार्यवाही का आयोजन किया गया दौराने कार्यवाही आरोपी राकेश कुमार सैनी सहायक कर्मचारी द्वारा डॉ0 कृष्णदत्त शर्मा के कहने पर परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से 25000@-रूपये रिश्वत राशि अपने दांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि का बरामद होने पर आरोपी डॉ0 कृष्णदत्त शर्मा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी व आरोपी राकेशकुमार सैनी सहायक कर्मचारी तथा आरोपी गौरीशंकर पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र 36 साल निवासी महमदपुर थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल एनएचएम कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त तीनों आरोपियों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों

जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0स0 में आरोपीगण 1 डॉ. कृष्णदत्त शर्मा पुत्र श्री हरीप्रसाद शर्मा उम्र 42 साल निवासी मकान नं0 209 तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली डीग जिला डीग हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग। 2-राकेश कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री निरोतीलाल सैनी उम्र 44 साल निवासी कुट्टी मौहल्ल कामां पुलिस थाना कामां जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग 3- गौरीशंकर पुत्र श्री रघुवीर सिंह उम्र 36 साल निवासी महमदपुर थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल एनएचएम कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामां जिला डीग के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 516 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 664-69 दिनांक 29.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर। 3 मिशन निदेशक, (एनएचएम) राजस्थान सरकार, जयपुर। 4 निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर। 5 उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर।
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/06/2024 17:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				
2	Male	1980				
3	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)